

शिक्षा बोर्ड

प्रारूप-2

(नियम 8 का उप-नियम (4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक जिशिअ/प्राशि/जय/सा-5/फा-मान्यता/झोट./770/2012

दिनांक-10/1/14

संस्था स्विव

कैम्पिन प०स्कूल

प०स्त रामेश्वरपाल, मुरलीपुहलौम

उपर्युक्त

विषय- नियम 8-के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन दिनांक _____ और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातर्वर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संर्दृ में, मैं जिला शिक्षा अधिकारी ऊर्ष शिक्षा जपपुर
(विद्यालय का नाम और पता) कैम्पिन प०स्कूल, प०स्त रामेश्वरपाल, मुरलीपुहलौम, जपपुर
को 27/1/2012 से _____ तक दोन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा I से VIII तक के लिए
अन्तर्मिम मान्यता मंजूर करता हूं।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पड़ोस के कमज़ोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।